बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–जै0प्रो0को0(कार्य योजना)–53/2015 3470 /कृ0, पटना, दिनांक– 9/7/ ,2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2015–16 में 20000.00 लाख रूपये (बीस हजार लाख रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए 4000.00 लाख रूपये (चालीस करोड़ रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

निदेशानुसार जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2015–16 में 20000.00 लाख (बीस हजार लाख रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन के अधीन अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए 4000.00 लाख रूपये (चालीस करोड़ रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि रोड मैप में जैविक खेती के आयामों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शामिल किये गये हैं। राज्य में टिकाउ/जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि रोड मैप 2012–17 को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष, 2015–16 के लिए स्वीकृत भौतिक लक्ष्य निम्न प्रकार है:–

कार्यक्रम का विवरण		इस कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत भौतिक लक्ष्य
पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई (सं0 में)		160000
एच.डी.पी.ई./बांस निर्मित वर्मी बेड इकाई (सं0 में)		20000
वर्मी कम्पोस्ट वितरण (क्विं0 में)		143660
गोबर गैस (सं0 में)		8000
व्यावसायिक वर्मी कम्पोस्ट (सं0 में)		60
व्यावसायिक जैव उर्वरक (सं0 में)		4
जैव उर्वरक वितरण (हे0 में) (शत–प्रतिशत अनुदान पर)		250000
जैव उर्वरक वितरण (हे0 में) (50 प्रतिशत अनुदान पर)		150000
सूक्ष्म पोषक तत्व (हे0 में)		80000
हरी चादर योजना (हे0 में)	मूँग	200000
	ढ़ैंचा	500000
बीजोपचार रसायन (हे0 में)		106666
फेरोमेनट्रेप (हे0 में)		16555
जैव कीटनाशी (हे0 में)		25000
जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण (एकड़ में)		5000

3. योजना में शामिल विभिन्न कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

- **वर्मी कम्पोस्टः**– मिट्टी में पोषक तत्वों की समेकित रूप से उपलब्धता तथा जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को 75 घन फीट के स्थायी/अर्द्धस्थायी उत्पादन इकाई पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 3000 रू0 प्रति इकाई की दर से अनुदान देय है। एच.डी.पी.ई./बाँस निर्मित वर्मी कम्पोस्ट निर्माण इकाई (96 घनफीट) के लिए लागत मूल्य का 30 प्रतिशत अधिकतम 3000 रू0 प्रति इकाई की दर से अनुदान स्वीकृत की गई है। एक किसान अधिक से अधिक 05 इकाई के लिए अनुदान का लाभ ले सकते हैं। वर्मी कम्पोस्ट के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 300 रू0/क्विं0 की दर से अनुदान पर वर्मी कम्पोस्ट का कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को 1000/2000/3000 मे0टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता के लिए इसके लागत मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 6.40, 12.80 एवं 20.00 लाख रू0 क्रमशः अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

- **जैव उर्वरक** पोषक तत्वों को जमीन में स्थिर करने तथा इसे पौधों को उपलब्ध कराने में उपयोगी है। पूर्व से राज्य सरकार द्वारा बीज ग्राम/मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना/एकीकृत बीज ग्राम योजना में किसान को निःशुल्क जैव उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है। इस मद के अतिरिक्त जो किसान बाजार से जैव उर्वरक खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 75 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान स्वीकृत की गई है।

- **हरी खाद** हरी खाद के रूप में ढैंचा तथा मूंग की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। गरमा/पूर्व खरीफ 2015 में इस कार्यक्रम में ढैंचा बीज 90 प्रतिशत तथा मूंग का बीज 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। अनुदान राशि बीज आपूर्ति करने वाली संस्था बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड को दी जा सकती है।

- **गोबर/बायो गैस** को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 02 घनमीटर क्षमता के लिए इसके मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 19000 रू0 प्रति इकाई की दर से अनुदान देने का प्रावधान है। शौचालय से संबंद्ध करने पर इसके मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम 28000 रू0 प्रति इकाई की दर से अनुदान देय होगा। संयंत्र की स्थापना के लिए टर्न की सर्विस प्रोवाईडर को 1500 रूपये प्रति इकाई पूर्व की तरह सहायता दी जायेगी।

- **सूक्ष्म पोषक तत्व** समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए कमी वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि, जिंक, बोरॉन आदि व्यवहार से फसल उत्पादन बढेगा। इस उद्देश्य से जिन क्षेत्रों में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि, जिंक, बोरॉन आदि की कमी हो रही है वहाँ किसानों को इनके व्यवहार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

- **समेकित कीट प्रबंधन** की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीज का उपचार आवश्यक है। बीज के उपचार की तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को बीजोपचार रसायन पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150 रूपये प्रति हेक्टेयर सहायता दी जायेगी। फसलों के लिए कुछ अत्यंत नुकसानदेह कीड़े जैसे कि, चना का पिल्लू (पॉड बोरर) , बैगन का पिल्लू (सूट एण्ड फ्रूट बोरर) आदि के नर कीट को फेरोमोनट्रेप लगाकर फँसाया जा सकता है तथा इसकी आबादी को बढ़ने से रोका जा सकता है। यह नयी तकनीक है। इसके प्रति रूझान बढ़ाने के लिए मूल्य का 90 प्रतिशत अधिकतम 900 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। रासायनिक कीटनाशी/फफुंदनाशी के व्यवहार से पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जैविक विकल्प उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को इसके मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान राशि की सहायता दी जायेगी।

- **जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण**– किसानों/उत्पादकों का समूह बनाकर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार जैविक खेती के लिए निर्धारित पैकेज पर अनुदान देकर अंगीकरण कराकर प्रमाणीकरण कराया जायेगा। इसके लिए 6500 रू0 प्रति एकड़ की दर से अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

4. किसानों को सभी प्रकार की सहायता शिविर/मेला लगाकर दिया जायेगा। किसान मेला/शिविर में उत्पाद की गुणवत्ता तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास किया जायेगा। किसान अपनी पसंद से किसी भी निर्माता/विक्रेता से गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीद सकेंगे। भारत सरकार द्वारा तय मानक के अनुरूप उत्पाद की गुणवत्ता तथा उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी। विशिष्ट मामलों में जहाँ भारत सरकार द्वारा मानक तय नहीं किया गया है, वहाँ कृषि निदेशक के स्तर पर वैज्ञानिकों की राय लेकर राज्य के किसानों के हित में उपयुक्त निर्णय लिया जा सकेगा।

5. योजना के अधीन स्वीकृत कार्यमदों यथा वर्मी कम्पोस्ट/जैव उर्वरक/गोबर गैस/सूक्ष्म पोषक तत्व/जैविक खेती का अंगीकरण को जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। प्रमाणीकरण की जवाबदेही बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को देते हुए इस मद की राशि निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को दी जा सकती है। समेकित कीट प्रबंधन से संबंधित कार्यमदों का कार्यान्वयन विभागीय पौधा संरक्षण संभाग के सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) के माध्यम से किया जायेगा। हरी खाद योजना को जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा, परंतु इसमें बिहार राज्य बीज निगम को बीज आपूर्त्ति की जवाबदेही दी जा सकती है।

6. इस योजनांतर्गत कार्यक्रमवार तथा जिलावार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार लक्ष्य से संबंधित विवरण अनुसूची–1 (क) एवं (ख) पर संलग्न हैं। कृषि निदेशक द्वारा स्वीकृत राशि को आवश्यकतानुसार जिला कृषि पदाधिकारी को उपावंटित किया जा सकेगा। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने से संबंधित कोषागार से राशि की निकासी कर सकेंगे। विशिष्ट परिस्थितियों जैसे कि किसी खास जिला में किसी खास कार्यक्रम के प्रति किसानों के रूझान/कृषि वैज्ञानिक/जिला कृषि पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में कार्यक्रम की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखते हुए विभागीय अनुमोदन के बाद जिलों के लक्ष्य को संशोधित भी किया जा सकता है। योजना में स्वीकृत राशि की सीमा में कार्यमदों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है अर्थात् एक घटक योजना के लक्ष्य को दूसरे घटक योजना में परिवर्तन किया जा सकता है। विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यमदों के लिए स्वीकृत अनुदान दर अनुसूची– 2 पर संलग्न है।

7. योजना में स्वीकृत राशि की सीमा में कार्यमदों में आवश्यकतानुसार वित्तीय लक्ष्य एवं अनुदान राशि में परिवर्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

8. योजना का कार्यान्वयन प्रशासी विभाग द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश एवं राज्य सरकार के द्वारा समय–समय निर्गत अनुदेश के अनुसार किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा अनुदेश में परिवर्तन किया जा सकता है।

9. कृषि निदेशक द्वारा बिहार राज्य बीज निगम को गरमा/पूर्व खरीफ 2015 में वितरित मूँग एवं ढ़ैंचा के बीज की अनुदान राशि उपलब्ध करायी जा सकती है। इस मद में गत वित्तीय वर्षो में उपलब्ध अवशेष राशि बिहार राज्य बीज निगम द्वारा वापस की जायेगी तथा विभाग/कृषि निदेशक द्वारा राशि कोषागार में जमा की जायेगी।

10. जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण अन्तर्गत प्रमाणीकरण कार्य हेतु राशि निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को कृषि निदेशक द्वारा उपलब्ध करायी जा सकती है।

11. योजना एवं विकास विभाग द्वारा इस योजना हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 2, 20 एवं 78 प्रतिशत जनसंख्या क्रमशः के अनुसार वित्तीय उद्व्यय निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर जिलों को कार्यक्रमवार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वार भौतिक

एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इसी समानुपात में श्रेणीवार राशि की निकासी कोषागार से करना सुनिश्चित करेंगे।

12. स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–1 –उपशीर्ष–0126–जैविक खेती का उन्नयन, विपत्र कोड–P2401007890126, विषय शीर्ष– 33 01 सब्सिडी अंतर्गत वर्ष 2015–16 में उपबंधित 4000.00 लाख रूपये (चालीस करोड़ रूपये) से विकलनीय होगा।

13. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 16.06.2015 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या–जै0प्रो0को0 (कार्य योजना).– 53/2015 के पृ0सं0–15/टि. पर प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

15. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–जै0प्रो0को0 (कार्य योजना)– 53/2015 के पृ0सं0–18/टि. पर दिनांक– 7/7/15 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- 8/7/15

(रामजी सिंह)

संयुक्त सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 3470 /कृ0, पटना दिनांक 9/7/ , 2015

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 8/7/15

संयुक्त सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3470 /कृ0, पटना, दिनांक 9/7/ , 2015

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त, विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 8/7/15

संयुक्त सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3470 /कृ0, पटना, दिनांक 9/7/ , 2015

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 8/7/15

संयुक्त सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3470 /कृ0, पटना, दिनांक 9/7/ , 2015

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, मीठापुर, पटना/ संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/सभी जिला नोडल पदाधिक़ारी/ प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना एवं योजना शाखा, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3470 /कृ0, पटना, दिनांक 9/7/ , 2015

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/ सभी सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3470 /कृ0, पटना, दिनांक 9/7/ , 2015

प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–01 (क)

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015–16 का राज्य योजना के अधीन जिलावार कार्यक्रमवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई–लाख रू0 में

क्रं0 सं0	जिला/कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई		एच.डी.पी.ई./बॉस निर्मित वर्मी कम्पोस्ट इकाई		अनुदानित दर पर वर्मी कम्पोस्ट वितरण		व्यावसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई		व्यावसायिक जैव उर्वरक उत्पादन इकाई		गोबर गैस	
		भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (क्विं0 में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कृषि निदेशक	0	0	0	0	0	0	60	1200.00	4	256.00	0	0.00
2	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना	6135	184.050	766	22.980	5508	16.529					307	71.57
3	जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा	4615	138.450	578	17.340	4144	12.432					231	53.85
4	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर	4225	126.750	528	15.840	3794	11.382					211	49.19
5	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	2632	78.960	329	9.870	2363	7.089					132	30.77
6	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास	4643	139.290	581	17.430	4168	12.504					233	54.32
7	जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ	3134	94.020	392	11.760	2814	8.442					158	36.83
8	जिला कृषि पदाधिकारी, गया	6823	204.690	853	25.590	6127	18.381					342	79.73
9	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद	1724	51.720	216	6.480	1548	4.644					85	19.82
10	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल	1223	36.690	153	4.590	1098	3.294					60	13.99
11	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा	3549	106.470	443	13.290	3186	9.558					178	41.50
12	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद	3845	115.350	480	14.400	3453	10.359					193	44.99
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण	6116	183.480	764	22.920	5492	16.476					307	71.57
14	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान	5430	162.900	680	20.400	4875	14.625					271	63.18
15	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज	4420	132.600	552	16.560	3970	11.910					220	51.29
16	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	7173	215.190	897	26.910	6441	19.328					358	83.46
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण	7580	227.400	947	28.410	6806	20.423					380	88.59
18	जिला कृषि पदाधिकारी, पं0 चंपारण	6423	192.690	803	24.090	5768	17.304					321	74.83
19	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी	5060	151.800	633	18.990	4543	13.629					253	58.98
20	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर	982	29.460	122	3.660	882	2.646					49	11.42
21	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली	5375	161.250	671	20.130	4827	14.486					270	62.94
22	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा	6116	183.480	764	22.920	5492	16.476					307	71.57
23	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी	7395	221.850	925	27.750	6640	19.920					369	86.02
24	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर	7062	211.860	882	26.460	6341	19.023					353	82.29
25	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय	4764	142.920	596	17.880	4277	12.831					238	55.48
26	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर	1956	58.680	244	7.320	1756	5.268					98	22.85
27	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय	1525	45.750	190	5.700	1369	4.107					76	17.72
28	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा	1084	32.520	136	4.080	973	2.919					54	12.59
29	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई	3003	90.090	375	11.250	2696	8.088					149	34.74
30	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर	4652	139.560	581	17.430	4177	12.531					232	54.08
31	जिला कृषि पदाधिकारी, बॉका	3764	112.920	470	14.100	3380	10.140					189	44.06
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा	2857	85.710	357	10.710	2565	7.695					142	33.10
33	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल	3355	100.650	420	12.600	3013	9.039					167	38.93
34	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	3235	97.050	405	12.150	2904	8.712					162	37.77
35	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया	4736	142.080	593	17.790	4251	12.753					236	55.02
36	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज	2420	72.600	303	9.090	2172	6.516					121	28.21
37	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया	4083	122.490	510	15.300	3665	13.995					204	47.56
38	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार	4495	134.850	562	16.860	4036	12.108					225	52.45
39	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया	2391	71.730	299	8.970	2146	6.438					119	27.74
	कुल	160000	4800.000	20000	600.000	143660	431.00	60	1200.00	4	256.00	8000	1865.00

अनुसूची–01 (क)

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015–16 का राज्य योजना के अधीन जिलावार कार्यक्रमवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई–लाख रू0 में

क्र0 सं0	जिला/कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	अनुदानित दर पर जैव उर्वरक वितरण (शत प्रतिशत)		अनुदानित दर पर जैव उर्वरक वितरण (50 प्रतिशत)		सूक्ष्म पोषक तत्व		हरी चादर (गरमा मूँग)		हरी चादर (ढैंचा)		जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण		कुल वित्तीय लक्ष्य (1–28)
		भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
40	कृषि निदेशक	250000	187.50	0	0.00	0	0.00	200000	4064.00	500000	5000.00	5000	650.00	11357.500
41	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना			5752	4.310	3067	15.335							314.774
42	जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा			4327	3.240	2308	11.540							236.852
43	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर			3963	2.970	2113	10.565							216.697
44	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर			2468	1.850	1316	6.580							135.119
45	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास			4353	3.270	2321	11.605							238.419
46	जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ			2937	2.200	1567	7.835							161.087
47	जिला कृषि पदाधिकारी, गया			6396	4.800	3411	17.055							350.246
48	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद			1616	1.210	862	4.310							88.184
49	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल			1147	0.860	612	3.060							62.484
50	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा			3327	2.500	1775	8.875							182.193
51	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद			3605	2.700	1924	9.620							197.419
52	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण			5734	4.300	3058	15.290							314.036
53	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान			5091	3.820	2715	13.575							278.500
54	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज			4144	3.110	2210	11.050							226.520
55	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर			6725	5.040	3586	17.930							367.858
56	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण			7107	5.330	3791	18.955							389.108
57	जिला कृषि पदाधिकारी, पं0 चंपारण			6022	4.520	3213	16.065							329.499
58	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी			4743	3.560	2530	12.650							259.609
59	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर			921	0.690	491	2.455							50.331
60	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली			5039	3.780	2687	13.435							276.021
61	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा			5734	4.300	3058	15.290							314.036
62	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी			6933	5.200	3698	18.490							379.230
63	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर			6620	4.970	3531	17.655							362.258
64	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय			4465	3.350	2381	11.905							244.366
65	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर			1834	1.380	978	4.890							100.388
66	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय			1429	1.070	762	3.810							78.157
67	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा			1015	0.760	542	2.710							55.579
68	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई			2816	2.110	1502	7.510							153.788
69	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर			4362	3.270	2326	11.630							238.501
70	जिला कृषि पदाधिकारी, बाँका			3528	2.650	1881	9.405							193.275
71	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा			2679	2.000	1428	7.140							146.355
72	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल			3145	2.360	1677	8.385							171.964
73	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा			3033	2.280	1618	8.090							166.052
74	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया			4440	3.330	2369	11.845							242.818
75	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज			2268	1.700	1209	6.045							124.161
76	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया			3827	2.870	2040	10.200							209.415
77	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार			4214	3.160	2247	11.235							230.663
78	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया			2241	1.680	1196	5.980							122.538
	कुल	250000	187.50	150000	112.50	80000	400.00	2	4064.00	5	5000.00	5000	650	19566.00

अनुसूची–01 (क)

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015–16 का राज्य योजना के अधीन जिलावार कार्यक्रमवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई–लाख रू० में

क्र० सं०	जिला/कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	बीजोपचार रसायन		फेरोमोनट्रैप		जैव कीटनाशी		कुल वित्तीय लक्ष्य
		भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य	
30	31	32	33	34	35	36	37	38
	B/F	0	0	0	0	0	0	19566.000
79	सहायक निदेशक पौ०सं०, पटना	4090	6.1300	636	5.7200	959	4.80	16.65
80	सहायक निदेशक पौ०सं०, नालंदा	3076	4.6100	477	4.2900	721	3.60	12.50
81	सहायक निदेशक पौ०सं०, भोजपुर	2818	4.2300	437	3.9300	661	3.30	11.46
82	सहायक निदेशक पौ०सं०, बक्सर	1754	2.6300	273	2.4600	412	2.06	7.15
83	सहायक निदेशक पौ०सं०, रोहतास	3094	4.6400	479	4.3100	725	3.63	12.58
84	सहायक निदेशक पौ०सं०, भभुआ	2089	3.1300	324	2.9200	489	2.450	8.50
85	सहायक निदेशक पौ०सं०, गया	4548	6.8200	706	6.3500	1066	5.330	18.50
86	सहायक निदेशक पौ०सं०, जहानाबाद	1150	1.7300	178	1.6000	270	1.350	4.68
87	सहायक निदेशक पौ०सं०, अरवल	815	1.2200	127	1.1400	191	0.950	3.31
88	सहायक निदेशक पौ०सं०, नवादा	2367	3.5500	367	3.3000	555	2.770	9.62
89	सहायक निदेशक पौ०सं०, औरंगाबाद	2564	3.8500	398	3.5800	601	3.000	10.43
90	सहायक निदेशक पौ०सं०, सारण	4078	6.1100	633	5.7000	956	4.780	16.59
91	सहायक निदेशक पौ०सं०, सिवान	3620	5.4300	562	5.0600	848	4.240	14.73
92	सहायक निदेशक पौ०सं०, गोपालगंज	2947	4.4200	458	4.1200	690	3.450	11.99
93	सहायक निदेशक पौ०सं०, मुजफ्फरपुर	4782	7.1700	743	6.6900	1121	5.610	19.47
94	सहायक निदेशक पौ०सं०, पू० चंपारण	5053	7.5800	784	7.0600	1185	5.930	20.57
95	सहायक निदेशक पौ०सं०, पं० चंपारण	4282	6.4200	664	5.9800	1004	5.020	17.42
96	सहायक निदेशक पौ०सं०, सीतामढ़ी	3373	5.0600	524	4.7200	790	3.950	13.73
97	सहायक निदेशक पौ०सं०, शिवहर	655	0.9800	102	0.9200	153	0.760	2.66
98	सहायक निदेशक पौ०सं०, वैशाली	3583	5.3800	556	5.0000	840	4.200	14.58
99	सहायक निदेशक पौ०सं०, दरभंगा	4078	6.1200	633	5.7000	956	4.780	16.60
100	सहायक निदेशक पौ०सं०, मधुबनी	4930	7.4000	765	6.8900	1156	5.780	20.07
101	सहायक निदेशक पौ०सं०, समस्तीपुर	4708	7.0600	731	6.5800	1103	5.510	19.15
102	सहायक निदेशक पौ०सं०, बेगुसराय	3175	4.7600	493	4.4400	744	3.720	12.92
103	सहायक निदेशक पौ०सं०, मुंगेर	1304	1.9600	202	1.8200	305	1.520	5.30
104	सहायक निदेशक पौ०सं०, लखीसराय	1017	1.5300	157	1.4100	238	1.190	4.13
105	सहायक निदेशक पौ०सं०, शेखपुरा	722	1.0800	113	1.0100	170	0.850	2.94
106	सहायक निदेशक पौ०सं०, जमुई	2003	3.0100	310	2.7900	469	2.350	8.15
107	सहायक निदेशक पौ०सं०, भागलपुर	3102	4.6500	482	4.3400	727	3.640	12.63
108	सहायक निदेशक पौ०सं०, बाँका	2509	3.7600	389	3.5000	588	2.940	10.20
109	सहायक निदेशक पौ०सं०, सहरसा	1905	2.8600	295	2.6600	446	2.230	7.75
110	सहायक निदेशक पौ०सं०, सुपौल	2236	3.3500	347	3.1200	524	2.620	9.09
111	सहायक निदेशक पौ०सं०, मधेपुरा	2157	3.2400	335	3.0200	505	2.520	8.78
112	सहायक निदेशक पौ०सं०, पूर्णिया	3158	4.7400	490	4.4100	741	3.710	12.86
113	सहायक निदेशक पौ०सं०, किशनगंज	1612	2.4200	251	2.2600	378	1.890	6.57
114	सहायक निदेशक पौ०सं०, अररिया	2722	4.0800	422	3.8000	638	3.190	11.07
115	सहायक निदेशक पौ०सं०, कटिहार	2997	4.5000	465	4.1800	702	3.510	12.19
116	सहायक निदेशक पौ०सं०, खगड़िया	1593	2.3900	247	2.2200	373	1.870	6.48
	कुल	106666.00	160.0000	16555.00	149.0000	25000.00	125.000	20000.000

अनुसूची–01 (ख)

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना 2015–16 का राज्य योजना के तहत् कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई–लाख रू0 में।

क्र0 सं0	जिला/कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कुल वित्तीय लक्ष्य			
		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	सामान्य	वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1	कृषि निदेशक	227.1500	2271.500	8858.850	11357.500
2	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना	0.0000	62.955	251.819	314.774
3	जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा	0.0000	47.370	189.482	236.852
4	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर	0.0000	43.339	173.358	216.697
5	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	0.0000	27.024	108.095	135.119
6	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास	4.2920	47.684	186.443	238.419
7	जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ	17.1681	32.217	111.702	161.087
8	जिला कृषि पदाधिकारी, गया	34.3362	70.049	245.861	350.246
9	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद	0.0000	17.637	70.548	88.184
10	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल	0.0000	12.497	49.988	62.484
11	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा	4.2920	36.439	141.463	182.193
12	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद	4.2920	39.484	153.643	197.419
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण	0.0000	62.807	251.229	314.036
14	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान	0.0000	55.700	222.800	278.500
15	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज	4.2920	45.304	176.924	226.520
16	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	0.0000	73.572	294.286	367.858
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण	0.0000	77.822	311.286	389.108
18	जिला कृषि पदाधिकारी, पं0 चंपारण	30.0442	65.900	233.555	329.499
19	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी	0.0000	51.922	207.687	259.609
20	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर	0.0000	10.066	40.265	50.331
21	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली	0.0000	55.204	220.816	276.021
22	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा	0.0000	62.807	251.229	314.036
23	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी	0.0000	75.846	303.384	379.230
24	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर	0.0000	72.452	289.806	362.258
25	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय	0.0000	48.873	195.492	244.366
26	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर	4.2920	20.078	76.019	100.388
27	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय	2.1460	15.631	60.379	78.157
28	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा	4.2920	11.116	40.172	55.579
29	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई	8.5841	30.758	114.447	153.788
30	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर	8.5841	47.700	182.217	238.501
31	जिला कृषि पदाधिकारी, बॉका	17.1681	38.655	137.452	193.275
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा	1.0730	29.271	116.011	146.355
33	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल	0.0000	34.393	137.571	171.964
34	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	4.2920	33.210	128.550	166.052
35	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया	4.2920	48.564	189.962	242.818
36	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज	4.2920	24.832	95.037	124.161
37	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया	2.1460	41.883	165.386	209.415
38	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार	4.2920	46.133	180.238	230.663
39	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया	0.0000	24.508	98.031	122.538
Total		391.3200	3913.20	15261.48	19566.00

अनुसूची–01 (ख)

खेती प्रोत्साहन योजना 2015–16 का राज्य योजना के तहत् कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई–लाख रू0 में।

क्र0 सं0	जिला/कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कुल वित्तीय लक्ष्य			
		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	सामान्य	वित्तीय लक्ष्य
7	8	9	10	11	12
	B/F	391.320	3913.200	15261.480	19566.00
40	सहायक निदेशक पौ0सं0, पटना	0.00	3.330	13.320	16.650
41	सहायक निदेशक पौ0सं0, नालंदा	0.00	2.500	10.000	12.500
42	सहायक निदेशक पौ0सं0, भोजपुर	0.00	2.292	9.168	11.460
43	सहायक निदेशक पौ0सं0, बक्सर	0.00	1.430	5.720	7.150
44	सहायक निदेशक पौ0सं0, रोहतास	0.23	2.516	9.837	12.580
45	सहायक निदेशक पौ0सं0, भभुआ	0.91	1.700	5.892	8.500
46	सहायक निदेशक पौ0सं0, गया	1.82	3.700	12.985	18.500
47	सहायक निदेशक पौ0सं0, जहानाबाद	0.00	0.936	3.744	4.680
48	सहायक निदेशक पौ0सं0, अरवल	0.00	0.662	2.648	3.310
49	सहायक निदेशक पौ0सं0, नवादा	0.23	1.924	7.469	9.620
50	सहायक निदेशक पौ0सं0, औरंगाबाद	0.23	2.086	8.117	10.430
51	सहायक निदेशक पौ0सं0, सारण	0.00	3.318	13.272	16.590
52	सहायक निदेशक पौ0सं0, सिवान	0.00	2.946	11.784	14.730
53	सहायक निदेशक पौ0सं0, गोपालगंज	0.23	2.398	9.365	11.990
54	सहायक निदेशक पौ0सं0, मुजफ्फरपुर	0.00	3.894	15.576	19.470
55	सहायक निदेशक पौ0सं0, पू0 चंपारण	0.00	4.114	16.456	20.570
56	सहायक निदेशक पौ0सं0, प0 चंपारण	1.59	3.484	12.348	17.420
57	सहायक निदेशक पौ0सं0, सीतामढ़ी	0.00	2.746	10.984	13.730
58	सहायक निदेशक पौ0सं0, शिवहर	0.00	0.532	2.128	2.660
59	सहायक निदेशक पौ0सं0, वैशाली	0.00	2.916	11.664	14.580
60	सहायक निदेशक पौ0सं0, दरभंगा	0.00	3.320	13.280	16.600
61	सहायक निदेशक पौ0सं0, मधुबनी	0.00	4.014	16.056	20.070
62	सहायक निदेशक पौ0सं0, समस्तीपुर	0.00	3.830	15.320	19.150
63	सहायक निदेशक पौ0सं0, बेगुसराय	0.00	2.584	10.336	12.920
64	सहायक निदेशक पौ0सं0, मुंगेर	0.23	1.060	4.013	5.300
65	सहायक निदेशक पौ0सं0, लखीसराय	0.11	0.826	3.190	4.130
66	सहायक निदेशक पौ0सं0, शेखपुरा	0.23	0.588	2.125	2.940
67	सहायक निदेशक पौ0सं0, जमुई	0.45	1.630	6.066	8.150
68	सहायक निदेशक पौ0सं0, भागलपुर	0.45	2.526	9.650	12.630
69	सहायक निदेशक पौ0सं0, बाँका	0.91	2.040	7.252	10.200
70	सहायक निदेशक पौ0सं0, सहरसा	0.06	1.550	6.143	7.750
71	सहायक निदेशक पौ0सं0, सुपौल	0.00	1.818	7.272	9.090
72	सहायक निदेशक पौ0सं0, मधेपुरा	0.23	1.756	6.797	8.780
73	सहायक निदेशक पौ0सं0, पूर्णिया	0.23	2.572	10.060	12.859
74	सहायक निदेशक पौ0सं0, किशनगंज	0.23	1.314	5.030	6.571
75	सहायक निदेशक पौ0सं0, अररिया	0.11	2.214	8.743	11.070
76	सहायक निदेशक पौ0सं0, कटिहार	0.23	2.438	9.525	12.190
77	सहायक निदेशक पौ0सं0, खगड़िया	0.00	1.296	5.184	6.480
	कुल	**400.000**	**4000.000**	**15600.00**	**20000.000**

अनुसूची–02

जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 के लिए विभिन्न कार्यमदों के लिए स्वीकृत अनुदान दर

क्र	मद का नाम		अनुदान दर
1	पक्का वर्मी बेड		आकार– (10'x3'x2.5') = 75 cft. अनुदान की राशि– मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 3000.00 रू0।
2	एच0डी0पी0ई0 /बॉस निर्मित वर्मी बेड		आकार– (12'x4'x2')=96 cft. अनुदान की राशि– मूल्य का 30 प्रतिशत अधिकतम 3000.00 रू0।
3	1) 1000 मे0टन (प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता)		(क) गैर सरकारी प्रतिष्ठानो को 40 प्रतिशत अधिकतम 6.40 लाख। (ख) सरकारी प्रतिष्ठानों को शत–प्रतिशत अधिकतम 16.00 लाख रू0।
	2) 2000 मे0टन (प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता)		(क) गैर सरकारी प्रतिष्ठानो को 40 प्रतिशत अधिकतम 12.80 लाख। (ख) सरकारी प्रतिष्ठानों को शत–प्रतिशत अधिकतम 32.00 लाख रू0।
	3) 3000 मे0टन (प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता)		(क) गैर सरकारी प्रतिष्ठानो को 40 प्रतिशत अधिकतम 20.00 लाख। (ख) सरकारी प्रतिष्ठानों को शत–प्रतिशत अधिकतम 50.00 लाख रू0।
4	वर्मी कम्पोस्ट वितरण		मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 300 रूपये प्रति क्वीं0।
5	600 मे0टन (प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता)		(क) गैर सरकारी प्रतिष्ठानो को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 64.00 लाख। (ख) सरकारी प्रतिष्ठानों को मूल्य का शत–प्रतिशत अधिकतम 160.00 लाख रू0।
6	गोबर गैस 2 घन मीटर.		2 घन फीट का कुल लागत 37576 तथा अनुदान लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 19000 रूपये। शौचालय से सम्बद्ध करने पर लागत मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम 28000 रू0/इकाई।
			टर्न की अनुदान (प्रोत्साहन राशि)–1500 रू0 प्रति इकाई।
7	हरी चादर योजना	मूँग	80 प्रतिशत अधिकतम 2032 रू0 प्रति हेक्टेयर।
		ढ़ैंचा	90 प्रतिशत अधिकतम 701 रू0 प्रति हेक्टेयर।
8	जैव उर्वरक वितरण		बीज ग्राम, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम एवं हरी चादर योजना अन्तर्गत अनुदान मूल्य का 100 प्रतिशत अधिकतम 75 रूपये प्रति हेक्टेयर।
			अन्य कार्यक्रम में अनुदान लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 75 रूपये प्रति हेक्टेयर।
9	सूक्ष्म पोषक तत्व		50 प्रतिशत अधिकतम 500 रूपये प्रति हेक्टेयर।
10	बीजोपचार रसायन		50 प्रतिशत अधिकतम 150 रूपये प्रति हेक्टेयर।
11	फेरोमोनट्रेप		90 प्रतिशत अधिकतम 900 रूपये प्रति हेक्टेयर।
12	बायोपेस्टीसाईड		50 प्रतिशत अधिकतम 500 रूपये प्रति हेक्टेयर।
13	जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणिकरण		50 प्रतिशत अधिकतम 6500.रू0 प्रति एकड़ प्रति मौसम अधिकतम दो मौसम के लिए।